

वरिष्ठ नागरिकों को निगम बसों में यात्रा पर रियायत

1	योजना का नाम	वरिष्ठ नागरिकों को निगम बसों में यात्रा पर रियायत
2	योजना का संक्षिप्त परिचय	राजस्थान राज्य के 65 वर्ष व अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को निगम बसों में यात्रा पर 30 प्रतिशत रियायत
3	प्रारम्भ होने का वर्ष	सितम्बर 2004
4	लाभान्वित वर्ग	राजस्थान राज्य के 65 वर्ष व अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक
5	पात्रता	65 वर्ष व अधिक आयु का प्रमाण-पत्र
6	देय सुविधाएं	30 प्रतिशत रियायत
7	आवेदन का तरीका	यात्रा के समय आयु प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना इनमें से कोई एक :- <ul style="list-style-type: none"> • मतदाता परिचय पत्र • पैनकार्ड • चालकलाईसेन्स • राशन कार्ड • सैकण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र • पासपोर्ट • निगम द्वारा जारी परिचय पत्र
8	आवेदन कहां किया जावे	बस में कार्यरत परिचालक को
9	आवेदन के साथ औपचारिकताएं	आयु प्रमाण-पत्र
10	सम्पर्क सूत्र	निगम के विभिन्न आगारों के मुख्य प्रबन्धक

